183

सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांकः– प0 19(2) प्रसु/एआरटीआई/2010 जयपुर, दिनांकः– 18-11-10

1 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

2 समस्त संभागीय आयुक्त

3 समस्त जिला कलक्टर

विषयः– बजट घोषणा वर्ष 2010–11 के बिन्दू सं0 4(iii) में " प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाने बाबत्।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन तत्परता प्रभावी ढंग से जनहित में पूर्ण जनसुविधा के साथ हो रहा है अथवा नहीं की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर विभाग स्तर पर प्रत्येक विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त एक समर्पित सैल का गठन किया जाकर शासन स्तर/विभाग स्तर पर पृथक–पृथक सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्वति का निरीक्षण एवं समीक्षा की जाकर प्रशासनिक सुधारा विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये है।

माह सितम्बर 2010 तक प्रत्येक विभाग में समर्पित सैल के गठन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जानी थी किन्तु यह तथ्य मेरे ध्यान में लाया गया है कि अनेक विभागों एवं कार्यालयों के स्तर पर अभी तक भी समर्पित सैल का गठन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है। जिन विभागों द्वारा समर्पित सैल का गठन कर इस विभाग में रिपोर्ट भिजवायी गई है उसका अवलोकन करने से प्रतित होता है कि गठित समर्पित सैल में निर्धारित मापदण्डों की पालना नहीं की गई है एवं समर्पित सैल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन नम्बर अंकित नहीं किये गये है।

मै अपेक्षा करता हूं कि आपके अधीनस्थ विभाग में यदि समर्पित सैल का गठन नहीं किया गया है तो तत्काल गठन किया जाकर निर्धारित प्रपत्र के आधार पर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायी जावें। यह भी याद रहे कि गठित समर्पित सैल में कम से कम तीन अधिकारी होने चाहिऐ जिनके नाम व पदनाम, टेलीफोन नम्बर का पूर्ण विवरण होना आवश्यक है इसके साथ ही सूचना के अधिकार के तहत गठित समर्पित सैल का पूर्ण विवरण सहित विभाग के बाहर बोर्ड लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय